अज अदालत– **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** मुकाम खेतड़ी

बयान गवाह जरिये V/C

Jud/Crim
Part V-7
PW-09

मुकदमा– **सरकार** बनाम **मुकेश कुमार**
प्रकरण संख्या–1056/**2018**
अंतर्गत धारा– 5,9 बी विस्फोट अधिनियम
दिनांक– **17.02.2026**

शपथ दिलाई गई

मैं शपथ से कहता हूँ कि मेरा नाम **विक्रम सिंह , पिता** का नाम स्व0 श्री प्रेमसिंह जाति , उम्र **52 साल** ,पेशा हाल सीआई थानाधिकारी पुष्कर अजमेर , निवासी जालमपुरा , **थाना पिलवा** तहसील जिला डीडवाना कुचामन राज0 है।

मुख्य परीक्षण :–

दिनांक 24.08.2018 को मै पुलिस थाना खेतड़ी पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस रेज मै ज्ञानसिंह एचसी, मनीष, राकेश, सरकारी जीप चालक राजकुमार के साथ समय 4.00 पीएम पर रवाना होकर गश्त ईलाका करता हुआ समय 5.00 पीएम पर मोड़ी पहुंचा। वहां पर मुखबीर खास ने ईतला दी कि मोडी पहाड़ में मुकेश शर्मा निवासी डूमोली की खान लीज है। जिसमें अवैध रूप से बिना बलास्टर व बिना सुरक्षा मानदण्डों को अपनाए अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री अपने कब्जेमें रखकर बलास्टिंग की जाती है। आज दिन में भी बलास्टिंग की गई थी तथा बलास्टिंग के पश्चात बची हुई विस्फोट सामग्री अभी जीज के पास बने कमरेां में पड़ी हुई है। इस ईतला से हमराही जाब्ते को अवगत करा कर मन एसएचओ मय हमराही जाब्ते के रवाना होकर समय 5.10 पीएम पर ईतला में बताये मुकेश शर्मा की लीज नम्बर 14 पर पहुंचे। लीज पर बने दो कमरोंके सामने पहुंचे तो पुलिस वाहन व जाब्ते को देखकर एक आदमी पहाड़ी की तरफ भग गया। कमरों के सामने तीन खाकी रंग के कागज के कार्टून पड़े हुयेमिले जिन पर नीओ जेल 901 एक्सप्लोसिव क्लास–2 कैट डबल जेड आदि में लिखा हुआ था। वजन 25किलोग्राम लिखा हुआ था। जिनको चैक किया तो दो डब्बों में कुल मिलाकर 226जिलेटिन छड़ें भरी मिली। डिब्बे में तीन सफटी फयूज, मय वायर मय तीन डिटोनेटर व पांच डिटोनेटर भी मिले। तीसरे खाकी रंग के डिब्बे में लाल रंग तार बत्ती जिनके गांठे लगी हुई थी भरे हुये मिले। इस प्रकार लीज धारक का बिना किसी वैध लाईसेन्स के अपनी लीज पर अवैध विस्फोटक सामग्री लीज में पत्थर फोड़ने/खनन कार्य करने हेतु काम में लेने का उक्त कार्य/कृत्य विस्फोटक अधिनियम में आना पाये जाने पर विस्फोटक सामग्री को मौके पर ही जब्त किया गया। मौके पर स्वतंत्र गवाह नहीं होने के कारण हमराही जाब्ते से पुलिस के गवाह बनाये गये। फर्द जब्ती अवैध विस्फोटक सामग्री प्रदर्श पी–1 है। जिस पर जी से एच मेरे साईन है। जिसकी पुश्त पर ई सेएफ बाबत थाना एवं कायमी मुकदमा का नोट अंकित है। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी–4 है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खेतड़ी (राज.)

Scanned with CamScanner

जिस पर ए से बी मेरे साईन है। तफतीश भीम सिंह एचसी के जिम्मे कीगई थी। उक्त प्रकरण में अवैध विस्फोटक सामग्री के निस्तारण हेतु मैने माननीय एसीजेएम खेतड़ी में प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–5 दिया था जिस पर ए से बी मेरे साईन है। भीमसिंह एचसी के द्वारा कियेगये अनुसंधान के पश्चात मैने मुलजिम मुकेश कुमार के विरूद्ध जर्मू धारा 5,9 बी विस्फोट अधिनियम 1884 का अपराध प्रमाणित मान कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था।

<u>जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तः</u>– मै जब मौके पर लीज पर गया था उस समय वहां पर और भी लीजे थी लेकिन लीजों के क्षेत्रफल की मेरे को आज जानकारी नहीं है। मौके पर लीज नं0 14 का बोर्ड लगा हुआ था। मैने प्रदर्श पी–1 सही बनाया था। मैने प्रदर्श पी–1 विस्फोटक सामग्री लीज के पास बने कमरों के पास में पड़ी हुई थी। कमरों पर कोई मार्का नहीं था। कमरों पर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। यह सही है कि विस्फोटक सामग्री कमरों के सामने ऑपन पैलेस पर पड़ी थी। मेरे को जानकारी में नही है कि मौके पर कमरों की या विस्फोटक सामग्री की फोटो या विडियो ग्राफी की हो या नहीं की हो। मुझे आज जानकारी नहीं है कि लीज पर लगे पीलर की फोटो या विडियो बनाई थी या नही बनाई थी। लीज नं0 14 के सट कर उतर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौनसी कौनसी लीजे है मेरे को पता नहीं है। मेरे जानकारी में यह नहीं आया कि लीज नं0 14 को खनिज विभाग ने दिनांक 24.08.2018 को बंद रखने के आदेश दे रखे हों। यह सही है कि मैने मौके पर सरपंच व किसी स्वतंत्र गवाह को मौतबिर गवाह नहीं बनाया। अजखुद कहा कि वहां पर मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह बनने के लिये तैयार नहीं था। यह सही है कि लीज नं0 14 मुकेश कुमार के नाम से आवंटित नहीं है लेकिन मुख्यतारखास लीज का मुकेश ने अपने नाम से बना रखा था। यह सही है कि दिनांक 24.08.2018 का लीज नं0 14 मुख्तयारखास मुकेश कुमार हो यहमेरे को जानकारी नहीं थी। लेकिन मुखबीर खास ने लीज नं0 14 का संचालन मुकेश शर्मा निवासी डूमोली द्वारा करना बताया था। लीज नं0 28/04 मौके पर चालू थी, रिकार्ड पर चालू बंद का मेरे को पता नहीं है। अजखुद कहा कि उस रोज लीज नं0 28/04 चालू थी या बंद थी मेरे को जानकारी नहीं थी। वापसी थाना आकर मैने इस सम्बन्धमें रोजनामचा में इन्द्राज किया था व वापसी थाना पर मुकदमा दर्ज कराया था। रोजनामचा की प्रति पत्रावली में है या नहीं मै पत्रावली देखकर बता सकता हुं। रोजनामचा की प्रति पत्रावली में सलंग्न है। मौके पर लीज नं0 14 व 28 लीजों पर कोई वाहन नहीं खड़ा थे। मौके पर लीज के पास बने केसर चालू थे। यह कहना गलत है कि बालाजी केसर लीज नं0 14 से 50 मीटर की दूरी पर हो। यह सही है कि मोड़ी पहाड़ में काफी लीजे थे संख्या में मेरे को ध्यान नही है जिनमें लीजे चालू भी थी।

<u>पुनः परीक्षण</u>– शुन्य।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतड़ी (राज.)

Scanned with CamScanner